

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद, पलामू।

अनुसूची 14 फारम संख्या 562

उमेश पासवान अपीलार्थी

आदेश पत्रक

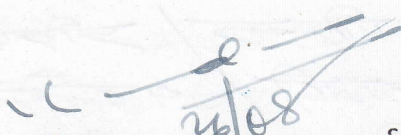
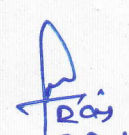
बनाम

रुदा देवी वगै० प्रतिवादी

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० से तक जिला पलामू।

नामान्तरण अपील वाद संख्या.....09.....सन् 2020

आदेश की की क्र.सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.8.20	अपीलार्थी उमेश पासवान, रमेश पासवान एवं राकेश पासवान तीनों वल्दान भीखारी राम ग्राम+पो०+थाना-मोहम्मदगंज, जिला पलामू की ओर से अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज के द्वारा Online नामान्तरण वाद संख्या 397/R27/2018-19 में पारीत आदेश दिनांक 23.10.2018 के विरुद्ध अपील दायर किया गया है तथा अपील आवेदन के साथ समय सीमा के बिलम्ब अवधी को क्षान्त करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के सुना एवं अपील आवेदन का अवलोकन किया। समय सीमा के विलम्ब अवधी को क्षान्त करते हुए अपील आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को सूचना निर्गत करें एवं अभिलेख की मांग करें तथा सुनवाई हेतु दिनांक 14.9.20 को रखें।  भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद, पलामू। <u>अपीलार्थी की ओर से बनाए गए राजी / फीट पत्ती का हस्ताक्षर</u>	P.N-163 22.11.22  22.11.22

14.9.20

+0 23-9-20

2.12.20

आदेश - पत्रक
(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई करवा
22.2.21	आदेश पत्रक की जांच के पत्राचार होजी / कहा है 11 अथ' दो १ २१/२२	
01.3.21	आदेश पत्रक की जांच के पत्राचार होजी / कहा है 11 अथ' दो १ २१/२२ आदेश पत्रक की जांच के पत्राचार होजी / कहा है 11 अथ' दो उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना आदेश उभय वागजात दलित को आदेशों १ १/३/२१	

न्यायालय - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

Schedule XIV Form No- 562

उमेश पासवान—अपीलार्थी

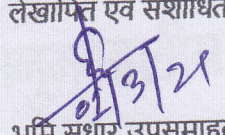
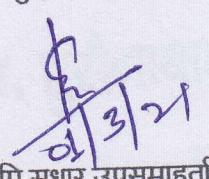
बनाम

रूदा देवी वर्मा० प्रतिवादी

ORDER SHEET

See Rule 129 OF THE RECORD MANUAL, 1941

नामांतरण अपील वाद संख्या - 09/2020

Date of order of Proceeding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date						
1	2	3						
01-03-2021	अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, मोहम्मदगंज के ऑनलाइन नामांतरण वाद संख्या 397/ R 27/2018-19 में, दिनांक 23-10-2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है। वाद से सम्बंधित भूमि का विवरण:- मौजा - मोहम्मदगंज, थाना नंबर - 353 अंचल - मोहम्मदगंज <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">खाता नंबर</th> <th style="width: 33%;">प्लॉट नंबर</th> <th style="width: 34%;">रकबा (डिसिमिल में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">452</td> <td style="text-align: center;">1493</td> <td style="text-align: center;">0.58</td> </tr> </tbody> </table> अपील आवेदन एवं प्रतिवादी की तरफ से दाखिल किए गए प्रतिउत्तर का अवलोकन किया। अपीलार्थी की तरफ से दिए गए लिखित बहस का अवलोकन किया तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के अनुसार मौजा मोहम्मदगंज के पुराना खाता नंबर 248 पुराना प्लॉटनंबर 1013 रकबा 2.65 एकड़ भूमि पर रामेश्वर पाठक का संपूर्ण हक,दखल कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित था। रामेश्वर पाठक के द्वारा इसी भूमि में से भरदुल राम को वर्ष 1992 में 0.75 एकड़, आदित्य देवी को 0.75 एकड़ और वर्ष 1999 में मानमती देवी को 0.93 एकड़ भूमि (कुल रकबा 2.43 एकड़) बिक्री कर दिया गया था। रामेश्वर पाठक के द्वारा बिक्री की गई भूमि का हाल सर्वे खतियान में नया खाता नंबर 452 प्लॉट नंबर 1493 रकबा 2.65 एकड़ भूमि दर्ज है और रामेश्वर पाठक के नाम से ही संधारित किया गया है। रामेश्वर पाठक ने अपने जीवन काल में ही पुराना खाता नंबर 248 पुराना प्लॉट नंबर 1013 हाल सर्वे खाता नंबर 452 हाल सर्वे प्लॉट नंबर 1493 का रकबा 2.43 एकड़ बिक्री कर दिए थे तो उसी भूमि को रामेश्वर पाठक के पुत्र सच्चिदानंद पाठक को दोबारासे बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। रामेश्वर पाठक के पुत्र सच्चिदानंद पाठक ने रूदा देवी को पुराना खाता नंबर 248 पुराना प्लॉट नंबर 1013 रकबा 0.58 एकड़ भूमि बिक्री किया है जो विधि संगत नहीं है क्योंकि उपरोक्त प्लॉट की भूमि को रामेश्वर पाठक ने अपने जीवन काल में ही बिक्री कर दिया था और शेष भूमि उस प्लॉट में नहीं बचता है। प्रतिवादी रूदा देवी ने भी बताया है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि सच्चिदानंद पाठक पिता रामेश्वर पाठक से निबंधित विक्रय पत्र संख्या 723 दिनांक 28-04-2000 को खरीदा था। उस भूमि का नामांतरण स्वीकृत होकर सरकारी रसीद उनके नाम पर निर्गत होते चला आ रहा है। रूदा देवी ने अपनी खरीद की भूमि का नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया था और आवेदन के आलोक में नामांतरण प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नामांतरण स्वीकृत होकर सरकारी उनके नाम पर निर्गत हो रहा है और रूदा देवी दखल कब्जे में है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ही भूमि को दो बिक्रेताओं क्रमशः रामेश्वर पाठक ने तथा उनके पुत्र सच्चिदानंद पाठक ने दो अलग अलग लोगों को बिक्री कर दिया गया है तथा दोनों क्रेता उक्त भूमि पर दखल कब्जा होने का दावा करते हैं। इसप्रकार यह मामला भूमि के स्वत्व से सम्बंधित है। पक्षकार यदि चाहे तो इसके समाधान हेतु सक्षम न्यायलय में जा सकते हैं। इस आदेश के साथ अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित्त एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता हुसैनाबाद (पलामू)।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता हुसैनाबाद (पलामू)।	खाता नंबर	प्लॉट नंबर	रकबा (डिसिमिल में)	452	1493	0.58	
खाता नंबर	प्लॉट नंबर	रकबा (डिसिमिल में)						
452	1493	0.58						